हरपाल सिंह बनाम हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

हेमंत गुप्ता और मोहिंदर पाल, जज।

हरपाल सिंह, —याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

और दूसरा,—प्रतिवादी

CPW. 10006 का **2006**

21 जनवरी, **2008**

भारतीय संविधान, ***1950***—धारा ***226***—हरियाणा राज्य द्वारा ***7*** अगस्त, ***1990*** को जारी निर्देश —एक सहायक अभियंता के खिलाफ आरोप कि उसने मजदूरों को हड़ताल पर जाने के लिए उकसाया और प्रेरित किया—सेवा से निवृत्ति—अपील दायर की गई—***HVPNL*** ने याचिकाकर्ता की पुनर्नियुक्ति का आदेश दिया—सेवा से निवृत्ति और पुनर्नियुक्ति के बीच का समय देय प्रकार की अवकाश के रूप में माना जाएगा—इसकी चुनौती—सुनवाई के किसी अवसर को प्रदान किए बिना सेवा से निवृत्ति का आदेश पास किया गया—यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता को आरोप से मुक्त नहीं किया गया था क्योंकि यह केवल विभागीय जांच और साक्ष्य रेकॉर्ड करने के बाद ही पता चल सकता था—याचिका स्वीकार की गई, हस्तक्षेप करने वाले समय को सभी उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए कार्यकालीन समय के रूप में माना जाएगा।

यदि सेवा से निवृत्ति का आदेश कानूनी रूप से स्थायी नहीं था क्योंकि यह सुनवाई के किसी अवसर को प्रदान किए बिना पास किया गया था, तो याचिकाकर्ता को इसके परिणामों का सामना करना नहीं चाहिए। यह नहीं कहा जा सकता कि जब याचिकाकर्ता की पुनर्नियुक्ति का आदेश दिया गया था, तो उसे हड़ताल में भाग लेने के लिए कर्मचारियों को उकसाने का आरोप से मुक्त नहीं किया गया था क्योंकि यह केवल विभागीय जांच और साक्ष्य रेकॉर्ड करने के बाद ही पता चल सकता था कि याचिकाकर्ता ने HVPNL के कर्मचारियों में अनुशासनहीनता फैलाई थी या नहीं। ऐसा नहीं होने पर, हमें प्रतिवादी-विभाग की क्रियावली को बनाए रखने के लिए कोई कारण नहीं मिलता, जो 30 अक्टूबर, 2003 के आदेश को जारी करने से लेकर आपत्तिजनक आदेश, दिनांक 24 जनवरी, 2006 तक है।

(पैरा 7)

संजीव ठाकुर, वकील, याचिकाकर्ता के लिए।

प्रतिवादियों के लिए कोई नहीं।

मोहिंदर पाल, जज।

(1) याचिकाकर्ता हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (संक्षेप में 'HVPNL') में सहायक अभियंता थे, जिसे पहले हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड के नाम से जाना जाता था। वह सेवा से संजीवनी प्राप्त कर चुके हैं। HVPNL के मजदूर संघ ने 14 मार्च, 1989 को टोकन हड़ताल के लिए एक सूचना दी थी। उस समय, याचिकाकर्ता गोहाना उपनगरीय उप-विभाग में सहायक अभियंता के रूप में पोस्ट पर थे।

(2) इस आरोप पर कि याचिकाकर्ता ने स्थिति को नियंत्रित करने और मजदूरों को हड़ताल पर जाने से रोकने के बजाय वास्तव में उन्हें हड़ताल पर जाने के लिए उकसाया और प्रेरित किया, जिससे उसके उप-विभाग में बड़े पैमाने पर अनुपस्थिति हुई, वह तुरंत प्रभाव से सेवा से हटा दिया गया,—दिनांक 1 अप्रैल, 1989 के आदेश (अनुलग्नक P-1) के माध्यम से।

(3) याचिकाकर्ता ने आदेश (अनुलग्नक P-1) के खिलाफ अपील दायर की, जिसे HVPNL ने स्वीकार किया,—दिनांक 2 अप्रैल, 1991 के आदेश (अनुलग्नक P-2) के माध्यम से और उसे तुरंत कार्य पर लिया जाने के लिए कहा गया। इसके बाद, HVPNL ने दिनांक 30 अक्टूबर, 2003 का आदेश (अनुलग्नक P-3) जारी किया जिसमें सेवा से हटाने और कार्य पर वापस लेने के बीच का समय देय प्रकार की अवकाश के रूप में माना गया। दिनांक 30 अक्टूबर, 2003 के आदेश (अनुलग्नक P-3) के खिलाफ, याचिकाकर्ता ने दिनांक 29 दिसंबर, 2003 को अपील (अनुलग्नक P-4) HVPNL के प्राधिकृत प्राविधिक निदेशक के सामने दायर की। जब अपील का निर्णय नहीं लिया गया, फिर भी याचिकाकर्ता ने दिनांक 25 अगस्त, 2004 और 12 अप्रैल, 2005 के प्रतिनिधित्व (दोनों अनुलग्नक P-5 में) किए गए, उसने समीक्षा अपील दिनांक 20 सितंबर, 2005 (अनुलग्नक P-6) दायर की। उक्त समीक्षा अपील को समर्थ अधिकारी ने खारिज कर दिया,—दिनांक 24 जनवरी, 2006 के आदेश (अनुलगनक P-7) के माध्यम से।

(4) इस याचिका में जो भारतीय संविधान की धारा 226/227 के तहत दायर की गई है, याचिकाकर्ता ने एक प्रमाणपत्र के रूप में एक रिट जारी करने की प्रार्थना की है जिससे दिनांक 24 जनवरी, 2006 का आदेश (अनुलग्नक P-7) रद्द किया जाए जिसमें याचिकाकर्ता की सेवा से हटाने और कार्य पर वापस लेने के बीच के समय को 11 अप्रैल, 1989 से 2 अप्रैल, 1991 तक के रूप में कार्यकालीन समय के रूप में मानने की प्रार्थना को खारिज किया गया।

(5) प्रतिवादियों की ओर से दायर की गई लिखित बयान में, 24 जनवरी, 2006 के आदेश को इस आधार पर यथास्थित करने का प्रयास किया गया है कि जब उसे वापस कार्य पर लेने का निर्णय लिया गया था, तो याचिकाकर्ता को मजदूरों को हड़ताल पर जाने के लिए उकसाने और प्रेरित करने के आरोप से मुक्त नहीं किया गया था और कि याचिकाकर्ता का मामला 7 अगस्त, 1990 (अनुलग्नक R-3) के निर्देशों के अंतर्गत नहीं था।

(6) जैसा कि दिनांक 1 अप्रैल, 1989 का आदेश (अनुलग्नक P-1), सेवा से हटाने की प्रमुख सजा लागू करते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ पास किया गया था बिना किसी सुनवाई के अवसर प्रदान किए और यहां तक कि प्रदर्शन कारण पत्र/आरोप पत्र जारी करने, दोषी अधिकारी से

जवाब लेने और एक नियमित विभागीय जांच आयोजित करने की प्रतिष्ठित प्रक्रिया को तालते हुए, HVPNL ने इस आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता की अपील को सही मानते हुए उसे तुरंत सेवा में पुनर्नियुक्त करने का आदेश दिया,—दिनांक 2 अप्रैल, 1991 के आदेश (अनुलग्नक P-2) के माध्यम से। हालांकि, दिनांक 30 अक्टूबर, 2003 के आदेश (अनुलग्नक P-3) जारी करके, सेवा से हटाने और सेवा में वापस लेने के बीच का समय देय प्रकार की अवकाश के रूप में माना गया। दिनांक 30 अक्टूबर, 2003 के आदेश (अनुलग्नक P-3) के खिलाफ याचिकाकर्ता की समीक्षा अपील को खारिज करते समय, समर्थ अधिकारी ने किसी मान्य कारण प्रदान नहीं किया, सिवाय इसके कि याचिकाकर्ता का मामला 7 अगस्त, 1990 (अनुलग्नक R-3) के निर्देशों के अंतर्गत नहीं था और जब उसे वापस कार्य पर लेने का निर्णय लिया गया था, तो उसे मजदूरों को हड़ताल पर जाने के लिए प्रेरित करने के आरोप से मुक्त नहीं किया गया था।

(7) यदि सेवा से निवृत्ति का आदेश कानूनी रूप से स्थायी नहीं था क्योंकि यह सुनवाई के किसी अवसर को प्रदान किए बिना पास किया गया था, तो याचिकाकर्ता को इसके परिणामों का सामना करना नहीं चाहिए। यह नहीं कहा जा सकता कि जब याचिकाकर्ता की पुनर्नियुक्ति का आदेश दिया गया था, तो उसे हड़ताल में भाग लेने के लिए कर्मचारियों को उकसाने का आरोप से मुक्त नहीं किया गया था क्योंकि यह केवल विभागीय जांच आयोजित करने और साक्ष्य रेकॉर्ड करने के बाद ही पता चल सकता था कि याचिकाकर्ता ने HVPNL के कर्मचारियों में अनुशासनहीनता फैलाई थी या नहीं। ऐसा नहीं होने पर, हमें प्रतिवादी-विभाग की क्रियावली को बनाए रखने के लिए कोई कारण नहीं मिलता, जो आदेश जारी करने से शुरू होता है।

दिनांक 30 अक्टूबर, 2003 (अनुलग्नक P-3) से आपत्तिजनक आदेश के पास होने तक, दिनांक 24 जनवरी, 2006 (अनुलग्नक P-7)। हमने प्रतिवादी-विभाग द्वारा निर्भर किए गए दिनांक 7 अगस्त, 1990 (अनुलग्नक R-1) के निर्देशों का परीक्षण किया है। इन निर्देशों में ऐसा मामला नहीं है जहां सेवा से हटाने की प्रमुख सजा किसी प्रदर्शन कारण पत्र/आरोप पत्र जारी किए बिना प्रदान की गई थी और सेवा से हटाने और सेवा में पुनर्नियुक्ति के बीच का समय लगभग एक वर्ष और ग्यारह महीने था, जैसा कि वर्तमान मामले में है।

(8) इस परिणामस्वरूप, इस रिट याचिका को स्वीकार किया जाता है। दिनांक 24 जनवरी, 2006 (अनुलग्नक P-7) का आपत्तिजनक आदेश रद्द किया जाता है। यह आदेश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता की सेवा से हटाने और उसे वापस कार्य पर लेने के बीच का समय अर्थात् 11 अप्रैल, 1989 से 2 अप्रैल, 1991 तक सभी उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए कार्यकालीन समय के रूप में माना जाएगा। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मिताली अग्रवाल
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
रेवाड़ी , हरियाणा